REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 670/2018

ATUL SINGH CHAUHAN

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE & ORS.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	SUPPLEMENTARY REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1-5
2.	Annexure-I	6-18
3.	Annexure-II	19-23

SUPPLEMENTARY REPORT REGARDING APPLICATION SUBMITTED BY SHRI ATUL SINGH CHAUHAN IN CONNECTION WITH O.A. NO. 670/2018 (I.A. NO. 22/2019, M.A. NO. 145/2019, I.A. NO. 694/2019 & M.A. NO. 773/2019)

(Updated supplementary report in continuation of earlier report)

The issue of sand mining in Yamuna river area of Prayagraj district is being considered in O.A 670/2018 (I.A. NO. 22/2019, M.A. NO. 145/2019, I.A. NO. 694/2019 & M.A. NO. 773/2019) in re: *Atul Singh Chauhan vs. Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors.* A complaint was sent by Mr Atul Singh Chauhan through registered post directly to the Oversight Committee (Annexure-I). Since there were several allegations and the complainant had also filed some document in support thereof so the committee considered it necessary to call for parawise report from D M Prayagraj. Report dated 8th September, 2020 (Annexure- II) has been received which is given by a committee comprising:

1. D M, Prayagraj
2. A D M Admn., Prayagraj
3. Senior Mining Officer, Prayagraj
4. Mining Inspector, Prayagraj

Parawise Summary of Allegations of the Complainant and the Report of the District Committee

Parawise summary of allegations of the complainant and the report of the District committee thereon is as under:

Allegation no. 1: Several cases of illegal mining have been registered. As per the report of the Director, Mining dated 24.06.2019 the allotment of lease is unscientific and order was given to cancel all the running leases. Further it was directed that new allotments be made only after fresh survey of the area. But inspite of that the lease were cancelled for want of payment of instalments without any fresh survey.

Report: It is correct to say that cases to check illegal mining have been registered in different police stations.

Report of the Director, Mining dated 24.06.2019 was challenged in Writ Petition No.22533/2019. Operative portion of the order of Hon'ble High Court reads as under:

*"**In view of the above confession of the counsel for the respondents and the facts and circumstances stated above, the impugned order dated 24.06.2019 in so far to***

petitioner is quashed with liberty to the respondent no 2 to pass afresh order, if necessary, in accordance with law , after giving an opportunity of hearing to the petitioner most expediously , preferably within three months."

After the aforementioned order a fresh survey of the entire area was done in pursuance of the order of the Director mining dated 14.08.2019. Existing leases were cancelled for non-payment of instalments within the prescribed time. Due notices were also given to the lease holders to pay the instalments.

Survey report of the area has been prepared as per the guidelines prescribed by MoFE&CC.

Allegation no. 2: The technical committee in its report dated 06.01.2020 gave a report regarding 51 mining plots out of which several mining plots were found in the main stream of river Yamuna. Block no. 4 was allotted in Prayagraj.

Report: It is correct to say that survey report was submitted by Technical Committee. As per report out of 21 blocks of river Yamuna 11 were found submerged in river. Remaining 10 were found suitable for mining. Sand block no. 4 of river Yamuna was duly available in district Prayagraj for allotment. No illegal sand mining was found in block no. 4 of village Semri. Village Semri was again inspected on 27.08.2020 and no illegal mining was found. Apart from it regarding illegal sand mining in village Semri a separate OA was filed in Hon'ble NGT bearing OA no. 869/2019 which has already been disposed of on 27.08.2020. Operative portion of the said order reads as under.

"Accordingly a report has been filed on 21.08.2020 by District Magistrate Prayagraj to the effect that no such illegal mining was found.

In view of above no further order is necessary at this stage.

The application is disposed of."

Apart from it the mining lease of village Semri has also been cancelled on 29.06.2020 for default in payment of instalments and recovery certificate has been issued on 07.07.2020. The block has been again advertised for fresh lease as sand for mining is available there.

Allegation no. 3: Mining officer has misled the authorities and without any survey, permissions for mining have been granted.

Report: This allegation has been reported to be false. It is stated that fresh survey was done as per the prescribed guidelines. Nine members technical committee was constituted to inspect and report and permissions were granted only after considering the report of the committee.

Allegation no. 4: Regarding illegal sand mining within the circle of Police Station Lalapur Distrct Prayagraj, SO Lalapur has sent a report to concerned SDM.

Report: It is reported that it is an old matter dated 20.05.2019. Action was taken on the said report. Inspection was again made in this respect by a joint team of several departments comprising revenue, mining and police department. Since the area was lying in District Kaushambi hence the same has been referred to district Kaushambi. A FIR has also been registered by mining department in this regard.

Allegation no. 5: Illegal mining is going on in the river bed and adequate steps are not being taken to check it. Sand mining mafias have killed a police constable Ravi Pandey by crushing him under their tractor.

Report: It is reported that there is no illegal mining in the district. Regular checking is being done. Action is taken in accordance with law if any such case comes to notice. In the financial year 2020-21, 09 cases of illegal mining and 199 cases of illegal transportation and overloading have been registered. Regarding death of police constable it is reported that a case of accidental death has been presented by the applicant as a case of murder.

Allegation no. 6: Executive Engineer (Flood Division), Prayagraj had written a letter to District Mining Officer that due to illegal sand mining Lilapur dam has been damaged.

Report: It is reported that it is an old incident. The letter was addressed to SO Police Station Sarai Inayatpur and only copy of the same was sent to District Mining Officer. Case was registered at the police station and the applicant is again agitating the same old issue without any justification.

Allegation no. 7: Sri Rewti Raman Singh ji M. P. (Rajya Sabha) has also written a letter regarding illegal sand mining and thereby causing loss of revenue.

Report: It is admitted that such a letter was received and action has also been taken. Case was registered and illegally mined sand was confiscated and has been auctioned as per law. Revenue of Rs.91,06,825 has been received by such auction.

Allegation no. 8: Executive Engineer, PWD has written a letter to District Mining Officer to check the overloading of trucks because overloaded trucks are causing damage to the public roads.

Report: It is reported that this letter is also an old matter dated 25.04.2019. In the month of August-2020, a special drive was initiated to check overloading as a result of these drive 88 trucks were challaned and given in the police custody. Action shall be taken against all in accordance with law.

Allegation no. 9: From the mining blocks of villages Baswar and Mohabbatganj of Tehsil-Karchana large amount of illegally mined sand has been stored in the nearby villages.

Report: It is reported that no license for the storage of sand has been given in district Prayagraj. Sand stored in the above mentioned area was confiscated and auctioned in accordance with law which has fetched revenue of Rs. 91,06,825. License of storage relates to district Kaushambi.

Allegation no. 10: From Bhauti and Bangalia area of Meja tehsil about 200-400 overloaded trucks of sand stone daily are being transported illegally.

Report: This allegation has also been denied and it is stated that a special drive was made to check such overloading in August and 88 trucks were challaned and were given in police custody. Action shall be taken against them in accordance with law.

It has also been added in the report that before the Committee headed by Justice Rajes Kumar, the applicant himself has admitted that these steps have been taken but in spite of that he has raised all these old issues again. An apprehension in the report has been expressed that this act of the applicant may be to stop sand mining which is lawfully going on in the district.

OPINION OF THE COMMITTEE

Some of the allegations of the applicant relate to district Kaushambi, for which a separate report shall be called.

So far as the allegations made in this complaint are concerned that relate to district Prayagraj, in view of DM's report, in the considered opinion of this Committee no further action needs to be taken at this stage.

17-09-2020	17-09-2020
X Anup Chandra Pandey	X SVS Rathore
Dr Anup Chandra Pandey Member, Oversight Committee Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY	Justice SVS Rathore Chairman, Oversight Committee Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

September 17, 2020

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

Annexures: As above

Annexure-1

6

सेवा में,

माननीय न्यायामूर्ति श्री एस0वी0एस0 राठौर,
अध्यक्ष ओवरसाईट कमेटी,
मा0 रा0ह0अ0,
नई दिल्ली।

विषयः ओ0ए0 नम्बर 670/2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि जनपद–प्रयागराज के यमुना नदी पर हो रहे अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण, ओवर लोड परिवहन व नदी की जलधारा से नावों द्वारा किये जा रहे खनन एवं नदी की जलधारा में आवंटित खनन पट्टों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा मा0 रा0ह0अ0 प्रधानपीठ, नई दिल्ली में ओ0ए0 नं0 670/2018 वाद योजित किया जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा जनपद में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच करने हेतु मा0 न्यायामूर्ति श्री राजेश कुमारजी की अध्यक्षता में ओवरसाईट कमेटी का गठन किया गया जिसमें मा0 न्यायामूर्ति श्री राजेश कुमार जी द्वारा जनपद–प्रयागराज के खान प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त मिलिभगत से जनपद में खनन के अवैध कारोबार में संलिप्तता को अपने मिनट्स एवं रिपोर्ट में कहा गया है, एवं मा0 अधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार खनन कार्य को करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 ओवरसाईट कमेटी के दिशा–निर्देशों के उपरान्त जनपद प्रयागराज में अवैध खनन कारोबार को रोकने हेतु कई मुकदमें विभिन्न थानों में बहुतायत मात्रा में दर्ज किये गये एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की निरीक्षण आख्या दिनांक 24.06.2019 में यह पाया गया है कि जनपद–प्रयागराज में खननपट्टों का आवंटन अवैज्ञानिक है अतः जनपद–प्रयागराज के समस्त पट्टों को निरस्त करते हुए पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर नये सिरे से खनन पट्टों का आवंटन किया जाय, को कहा गया है, परन्तु जिला खान प्रशासन, प्रयागराज द्वारा गलत ढंग से आवंटित बालू खनन खण्डों के तथ्यों को छिपाकर किस्तों के बकाये के आधार पर निरस्त कर दिया गया परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की निरीक्षण आख्या दिनांक 24.06.2019 के उपरान्त भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं कराया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–1955/86/2019–57(सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 में यह कहा गया कि मानसून सत्र के उपरान्त स्वीकृत खनन पट्टों की वास्तविक स्थिति एवं खनन योग्य उपलब्ध बालू/मोरम की मात्रा का आंकलन करने के आदेश दिये गये हैं। इस शासनादेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश संख्या–1058/ई टेंडर बालू/खनन/2019–20 दिनांक 24.09.2019 द्वारा प्राविधिक समिति का गठन कर स्वीकृत खनन पट्टों की वास्तविक स्थिति एवं खनन योग्य उपलब्ध बालू/मोरम की मात्रा का आंकलन करते हुए संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्देश के अनुपालन में प्राविधिक समिति द्वारा दिनांक 28.11.2019 को स्थलीय जांच कर जनपद प्रयागराज में आवंटित बालू के 51 खनन खण्डों की आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें यमुना नदी के ज्यादातर आवंटित खण्ड यमुना नदी की जलधारा में पाये गये तथा कुछ खण्ड नदी के दूसरे छोर पर खनन योग्य खण्ड में उपलब्ध बालू का खनन कार्य पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय/वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनापत्ति में इंगित शर्तों एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार खनन कार्य किये जाने की संस्तुति की जाती है, जबकि खण्ड सं0 4 का आवंटन जनपद प्रयागराज की तरफ हुआ था और पट्टेदार द्वारा खनन योजना एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र भी जनपद–प्रयागराज की तरफ से खनन एवं परिवहन हेतु प्राप्त किया गया था।

यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि प्राविधिक समिति की निरीक्षण आख्या के उपरान्त जनपद–प्रयागराज के तहसील–बारा स्थित ग्राम सेमरी खण्ड सं0–4 रकबा 8.00 हे0 मात्रा 1,60,000.00 घनमीटर का खनन की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में नदी की मुख्य जलधारा के उस पार जनपद कौशाम्बी की तरफ है क्योंकि जनपद–प्रयागराज की तरफ नदी की मुख्यधारा प्रवाहित हो रही जबकि खण्ड सं0–4 सेमरी का आवंटन जनपद–प्रयागराज की तरफ से किया गया है परन्तु खण्ड सं0– 4 के पट्टेधारक द्वारा अवैध रूप से नदी के बीच

जलधारा से पोकलैण्ड, जे0सी0बी, सक्शन मशीन द्वारा अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण की अनापत्ति के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नदी के दोनों सिरों जनपद-प्रयागराज एवं जनपद-कौशाम्बी की तरफ से किया जाता रहा है जबकि खण्ड सं0 4 को कौशाम्बी की तरफ से परिवहन हेतु कोई भी आदेश जिलाधिकारी प्रयागराज एवं जिलाधिकारी कौशाम्बी द्वारा पारित नही किया गया है जबकि पूर्व में खण्ड संख्या 5 नेवड़िया, इमिलिया के पट्टेधारक द्वारा जनपद-कौशाम्बी की तरफ से परिवहन हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी प्रयागराज व जिलाधिकारी कौशाम्बी व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अनुमति प्रदान करने से मना किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों में जिला खान प्रशासन कौशाम्बी एवं प्रयागराज की अनुकम्पा से पूर्व में बकाया राजस्व को जमा कराए बिना व बिना किसी विधिक आदेश के खण्ड सं0 4 सेमरी को अनुमोदित खनन योजना एवं स्वीकृत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन कर जनपद-कौशाम्बी की तरफ से खनन एवं परिवहन कार्य किया गया।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जनपद-प्रयागराज के जिला खान अधिकारी श्री अंजनी कुमार द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को गुमराह कर गलत तथ्यों के आधार पर बिना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कराए प्राविधिक समिति की आख्या के आधार पर जनपद-कौशाम्बी के जिला खान अधिकारी से साठ-गांठ कर खण्ड सं0-4 सेमरी को जनपद-कौशाम्बी के चायल तहसील स्थित महरनिया खण्ड से खनन कार्य की अनुमति बिना पूर्व की बकाया देय धनराशि जमा कराये खनन एवं परिवहन की अनुमति प्रदान कर दिया गया।

जनपद-कौशाम्बी के तहसील-चायल स्थित महरनिया खण्ड का लेटर आफ इन्टेन्ट कार्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी (खनन अनुभाग) के पत्रांक 1390/खनन सहायक कौ0 दिनांक 26.011.2018 को जारी किया गया जिसके उपरान्त खनन योजना (माईनिंग प्लान) तैयार कर स्वच्छता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद जनपद-कौशाम्बी के खान अधिकारी द्वारा महरनिया खण्ड का पट्टा विलेख इसलिए नहीं कराया जा रहा ताकि जनपद-प्रयागराज के तहसील-बारा स्थित खण्ड सं0 4 सेमरी के पट्टेधारक द्वारा लगातार महरनिया खण्ड से ही खनन व परिवहन किया जाता रहा है।

जनपद-प्रयागराज के पट्टेधारकों द्वारा यमुना नदी से अवैध बालू खनन करने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष-लालापुर, जनपद-प्रयागराज द्वारा उपजिलाधिकारी-बारा को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि बालू पट्टेधारको द्वारा ग्राम-नौढ़िहा, सेमरी एवं पंडुआ में यमुना नदी से नावों द्वारा अवैध बालू खनन किया जा रहा है जिसमें अवैध बालू निकालने पर रोकथाम हेतु गठित संयुक्त टीम को भेज कर आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी है। *(थानाध्यक्ष-लालापुर, जनपद-प्रयागराज के रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है)।*

जनपद-प्रयागराज में नदियों को काटकर उसकी जलधारा से अवैध खनन निरन्तर जारी है कार्यवाही व रोकथाम के नाम पर केवल परिवहन कर रहे कुछ वाहनों के विरूद्व कार्यवाही कर खानापूर्ति की जाती है लेकिन कोई कठोर नीति व अधिकारियों की शिथिलता होने के कारण अवैध खनन एवं परिवहन व भण्डारण का कार्य निरन्तर जारी है। जब विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा था और सम्पूर्ण देश में लॉकडाऊन था उस समय मे भी प्रयागराज नदियों की जलधारा से अवैध खनन कर अवैध भण्डारण का कार्य निरन्तर जारी था, अवैध खनन कार्य कर रहे माफियाओं के हौसले खान प्रशासन की मिलीभगत से इतने बुलन्द थे कि लॉकडाऊन के दौरान थाना-नैनी की पुलिस द्वारा अवैध खनन कार्य रोकने हेतु मौके पर जाने पर माफियाओं द्वारा दिनांक 10.04.2020 को रवि पाण्डेय नामक सिपाही को ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया गया। *(दैनिक समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है)*

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड प्रयागराज द्वारा पत्रांक 941/बकख. प्रया./लीलापुर बांध/दिनांक 31.05.2019 को जिला खान अधिकारी प्रयागराज को अराजक तत्वों द्वारा बालू खनन कर लीलापुर बांध को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है जिसकी *छायाप्रति संलग्न है।*

मा0 डा0 अजय कुमार विधायक 264 बारा, प्रयागराज द्वारा बालू खनन एवं अवैध परिवहन ओवरलोड ट्रकों की वसूली में राजस्व की भारी पैमाने पर क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में विषय में पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया जा चुका है जिसकी *छाया प्रति संलग्न है।*

मा0 कुंवर रेवती रमण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा दिनांक 06.01.2020 को अवैध खनन/परिवहन व भण्डारण करने, सरकार की खनन नीति को हानि एवं सरकारी राजस्व की क्षति हेतु पत्र निदेशक/सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ को भेजा गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड–1, लो0नि0वि0 प्रयागराज द्वारा वाहनो के ओवर लोडिंग के कारण मार्गो को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में विषयक पत्र खनिज अधिकारी प्रयागराज को पत्रांक 498/1 दिनांक 25.04.2019 को ओवरलोड ट्रकों का नियन्त्रण कराने हेतु भेजा गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि जनपद–प्रयागराज में अवैध खनन अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण ओवरलोड परिवहन पर कोई रोक व कठोर कार्यवाही नहीं की गयी है।

जनपद–प्रयागराज एवं जनपद–कौशाम्बी में मानसून सत्र (1 जुलाई से 30 सितम्बर) पर अवैध रूप से खनन कर भारी मात्रा में भण्डारण किया गया है जबकि भण्डारण स्थल पर भण्डारण की अनुमति या तो नहीं ली गयी है और यदि लिया गया है तो मात्र 5,000.00 से 40,000.00 घनमीटर भण्डारण की अनुमति ली गयी है जबकि भण्डारण स्थल पर 3 मीटर से अधिक ऊंचाई के भण्डारण स्थल निम्न हैं –

जनपद–कौशाम्बी में महरनिया घाट से सेमरी द्वारा अवैध खनन कर भण्डारित स्थल चायल तहसील के ग्राम सभा औंधन एवं ग्राम सभा पट्टी दली पिपरी सरांय अकिल मार्ग के चायल मोड़ के पास ससुर खदेरी नदी के बगल में व अन्य कई ग्रामों में तथा तहसील–मंझनपुर के ग्राम सभा भगवतपुर, कटरी, डेढ़ावल, बढ़ाहरी आदि ग्रामों व महेवा घाट मूरतगंज मार्ग पर धाता मोड़, टिकरा अलवारा मार्ग स्थित पौर काशीरामपुर, करारी से बैरागीपुर मार्ग पर शाहपुर ग्राम में व अन्य जगहों पर यमुना नदी के 3 से 5 किमी0 के क्षेत्र के ग्रामों में जगह–जगह 10,000.00 घनमीटर से कई लाख घनमीटर के अवैध भण्डारण मौजूद हैं और वर्तमान समय में वहां से ओवरलोड ट्रकों द्वारा रात्रि के समय अवैध परिवहन कराया जा रहा है, यदि भण्डारण स्थल पर भण्डारण हेतु क्रय किये गये खनिज के ई0 एम0एम0 11 की मात्रा एवं भण्डारण स्थल पर भण्डारित बालू की मात्रा का सत्यापन कराया जाय तो अवैध खनन कर भण्डारण की पुष्टि की जा सकती है।

जनपद–प्रयागराज में करछना तहसील स्थित बसवार व मोहब्बतगंज खनन खण्डों से अवैध रूप से खनन कर ग्राम ठकुरी का पुरवा व नेवड़िया, मझियारी, कंजासा, कैनुआ, बिरवल आदि ग्रामों पर अवैध रूप से भण्डारित बालू के स्थल देखे जा सकते हैं जहां पर 5,000.00 घनमी0 से लेकर 2,00,000.00 घनमी0 तक अवैध रूप से बालू भण्डारित है।

जनपद–प्रयागराज में मेजा तहसील के अन्तर्गत भटौती, बंगलिया में स्थित पहाड़ियों से सैण्ड स्टोन की प्रतिदिन लगभग 200 से 400 ओवरलोड ट्रकों का परिवहन बिना वैध प्रपत्र के (अवैध परिवहन) लगातार जारी है पूर्व मे निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध परिवहन प्रपत्र (फर्जी ई0 एम0एम0 11) परिवहन करते पाया गया था इस सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की छाया प्रति एवं प्रयागराज–मिर्जापुर मार्ग पर *ओवरलोड गिट्टी से लदे ट्रकों की फोटो संलग्न है।*

अतः माननीय जी से अनुरोध है कि जनपद–प्रयागराज व प्रयागराज की सीमा से सटे जनपदों में बह रही यमुना नदी की जलधारा से हो रहे अवैध खनन व अवैध परिवहन से हो रहे पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति को रोकने हेतु ठोस दिशा–निर्देश जारी करने एवं अवैध खनन से नदियों एवं पर्यावरण की क्षति का आंकलन कराते हुए क्षति पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं दोषियों के विरूद्ध उचित कठोर निषेधात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे पर्यावरण की हुई क्षति की भरपाई हो सके एवं पुनः ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो। आपकी अतिकृपा होगी।

दिनांकः /08/2020

भवदीय

अतुल सिंह चौहान
(एडवोकेट)
मोबाइलः 9454600332

सेवा में,

श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय

तहसील बारा, जनपद प्रयागराज

विषय – पट्टा धारको द्वारा ग्राम नौढिया, सेमरी एवं पण्डुआ से यमुना नदी से अवैध बालू खनन करने के सम्बंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि बालू पट्टाधारको द्वारा ग्राम नौढिया, सेमरी एवं पण्डुआ से यमुना नदी से नाव द्वारा चोरी छिपे अवैध बालू खनन किया जा रहा है तथा साथ ही साथ यह भी शिकायत मिल रही है कि नौढिया घाट के उस पार भी चोरी छिपे अवैध बालू खनन किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी कई बार इस सम्बंध में रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। परन्तु पट्टाधारको द्वारा अवैध बालू खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नही किया जा रहा है तथा मेरे द्वारा अवैध परिवहन पर रोकथाम हेतु हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है एवं समय समय पर उनके विरूद्ध मेरे द्वारा विधिक कार्यवाही भी की गयी है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि अवैध खनन/परिवहन/यमुना नदी से बालू निकालने पर रोकथाम हेतु गठित संयुक्त टीम को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 7/8/19

थानाध्यक्ष

थाना – लालापुर

जनपद -प्रयागराज

प्रतिलिपिः-

1- श्रीमान् ADM प्रशासन महोदय प्रयागराज
2- श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बारा प्रयागराज
3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक यमुनापार प्रयागराज
4- श्रीमान् जिला खनन अधिकारी महोदय प्रयागराज

SDM बारा

कृ तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

20/8/19

प्रयागराज, शनिवार
11 अप्रैल 2020
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 6.00
पृष्ठ 12

दैनिक

www.jagran.com

ज्यादा से ज्यादा सदियों की हो जांच : योगी 07

	विश्व	अमेरिका	स्पेन	भा
कुल केस	16,84,574	4,83,603	1,57,022	7,54
मौतें	1,02,058	17,876	15,843	24
स्वस्थ हुए	3,75,221	25,937	55,668	67

कोरोना मीटर

हेल्पलाइन नंबर

बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से सिपाही की हुई मौत

262

रोजाना 20-21 घंटे काम कर रहे हैं अग्निम पंक्ति के योद्धा

तब्लीगियों के का

राजधानी दिल्ली में एक दिन में 183 न

PRATAP UNIVERSITY

अमर उजाला — कौशाम्बी-आसपास

आवंटित खंड से बाहर मानक के विपरीत खनन पर होगी कार्रवाई

चायल क्षेत्र के सैंदपुर रुसहाई बालू घाट पर जिलाधिकारी-पुलिस अधीक्षक ने मारा छापा

खागा में ससुराल गए युवक ने युवती से किया दुष्कर्म

फतेहपुरः भारतपुर को किया गया स

अवैध खनन में आधा दर्जन अफसरों पर लटकी तलवार

शातिरों ने बुजुर्ग महिला को लगाया चूना

फर्जी गोल्डेन क

11

61 R
7/6/19

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

पत्रांक /बाकाख.प्रया./ लीलापुर बांध / दिनांक, 31/5/19

विषयः- गंगा नदी के बायें तट पर स्थित लीलापुर बंध को क्षतिग्रस्त करनें के संबंध में।

थानाध्यक्ष, सरायइनायत, प्रयागराज।

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि लीलापुर कटाव निरोधक कार्य हेतु बनाये गये लीलापुर बंध को आरजक तत्वों द्वारा बालू खनन कर ले जाने हेतु काट दिया गया है। जिससे बाढ़ के समय गंगा नदी में बहाव व कटान के कारण बंध को खतरा बढ़ गया है तथा बंध के टूट जाने पर पानी गांव में प्रवेश कर जायेगा, जिससे जन धन की हानि होने की सभावना है।

अतः उक्त के संबध में गम्भीरता पूर्वक ध्यान देते हुये जो लोग बालू निकाल रहे है उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करनें का कष्ट करे, जिससे बंध सुरक्षित हो सके।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

पत्रांक 941 /बाकाख.प्रया./ लीलापुर बांध /तदिनांक,

1- प्रतिलिपि जिलाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2- प्रतिलिपि जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से उचित कार्यवाही करनें का कष्ट करें।
3- प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी, फूलपुर, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज
31/05/19

2616
MI/[illegible]
[illegible] आवश्यक कार्यवाही करें।

ज्येष्ठ खान अधिकारी
प्रयागराज

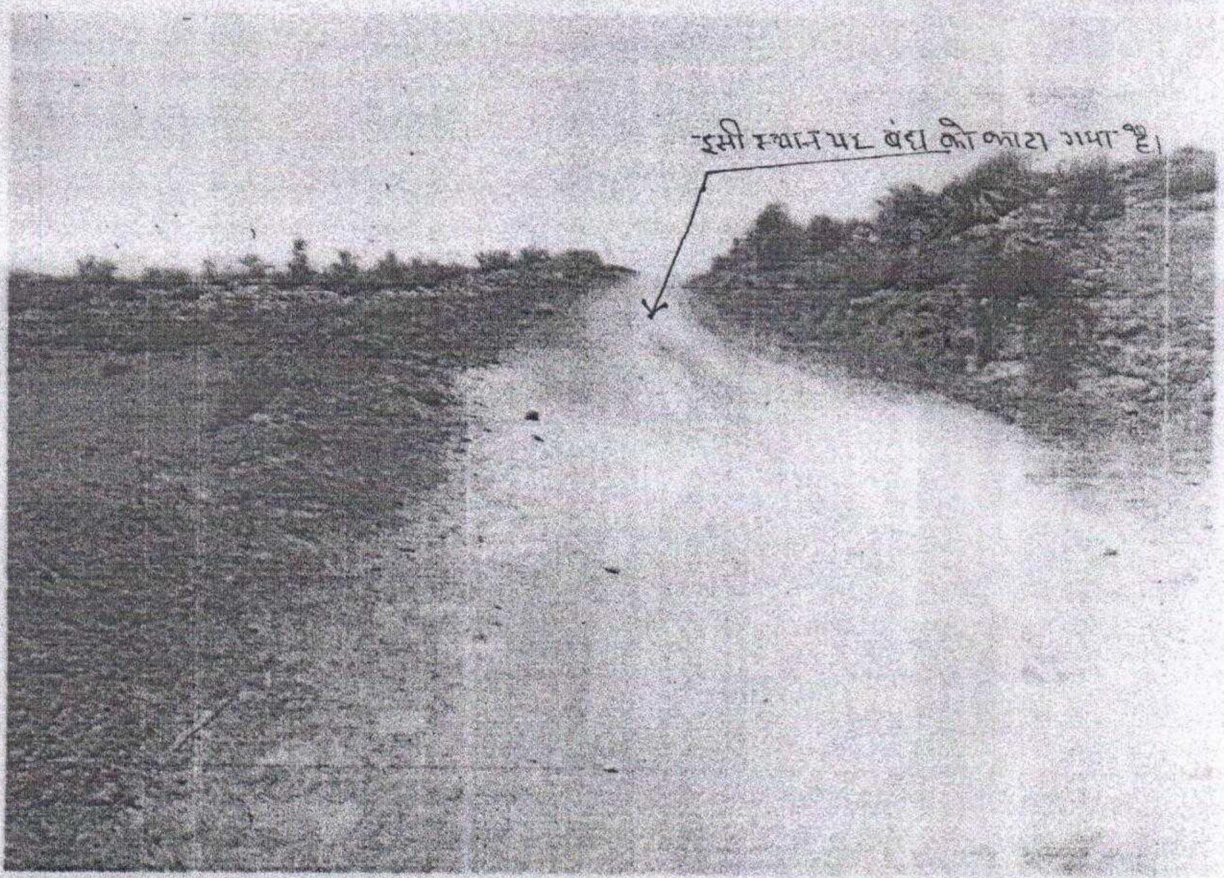
इसी स्थान पर बंध को काटा गया है।

डा० अजय कुमार
विधायक, भाजपा
बारा 264
प्रयागराज।

11074R3/86-19

13

सदस्य विधान सभा उत्तर प्रदेश

क-6 No. 013424

प्रमुख

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय:-बालू खनन एवं अवैध परिवहन ओवरलोड ट्रकों की वसूली में राजस्व - भारी पैमाने पर क्षति पहुँचाने के संबंध में।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उ० प्र० शासन

महोदय,

सादर संलग्न पत्र के साथ अनुरोध है कि प्रयागराज के मेरे विधानसभा-बारा क्षेत्र में खनन माफियाओं को जिलाधिकारी द्वारा अनुचित लाभ दिलाया जा रहा है, रात में चोरी से अवैध खनन एवं अवैध परिवहन ट्रकों, ट्रैक्टर की ओवरलोडिंग लगातार चल रही है। प्रशासन की सह पर पास कराकर मोटी रकम कमाई की जा रही है जिससे रोड भी क्षतिग्रस्त हो रही है एवं बिना रवन्ना (प्रपत्र-सी) की गाडियों को पास कराया जा रहा है। जिससे राजस्व की भारी पैमाने पर क्षति हो रही है। जबकि विधान सभा के आसपास करीब 1200 गरीब परिवारों के खिलाफ खनन अधिनियम की विभन्न धराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इनमें कई ऐसे लोगों के खिलाफ उक्त अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत है। जिसकी मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो गई है। तथा ढेर सारे छात्रों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो अभी शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत् है। दिनांक-20-10-2019 को शायं लगभग 05 बजे उप जिलाधिकारी बारा एवं घूरपुर के थानाध्यक्ष के साथ भीटा ग्राम सभा में सुजावन देव पर मेले के तैयारी के संदर्भ में जानकारी लेने जा रहा था तभी भीटा ग्रामसभा के पास लोगो ने रोककर मुझे तथा उप जिलाधिकारी महोदय जी को अवैध रूप से बेरियर लगाकर वसूली कर रहे लोगो के खिलाफ जानकारी दी जिस पर उप जिलाधिकारी ने खनन इन्चार्ज को फोन किया तो खनन अधिकारी ने वहाँ पर किसी प्रकार का बेरियर न होने के बारे में बात कही। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा व मेरे द्वारा स्वयं थाने पर खनन इन्चार्ज को बुलाया गया जिससे माफियाओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा सके। उप जिलाधिकारी बारा के बुलाने पर खनन अधिकारी घूरपुर थाने पर नही आये और खनन अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने उसे वहाँ आने पर और मुकदमा दर्ज कराने के लिए रोक दिया है। जिसके उपरान्त मैंने स्वयं अपने मोबाईल से जिलाधिकारी महोदय को मोबाईल पर खनन अधिकारी

डा0 अजय कुमार
विधायक, भाजपा
बारा 264
प्रयागराज।

सदस्य विधान सभा उत्तर प्रदेश

क-6 No. 013426

एवं अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजने के लिए कहा, किन्तु जिलाधिकारी ने स्पष्ट मना करते हुये मेरे उपर ही आरोप लगाने लगे। जिससे यह प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी के संरक्षण में बालू माफियाओं का गोरखधन्धा चल रहा है। जबकि स्थानीय विधानसभा के गरीब निवासियों के बारे में मेरे बार-बार कहने पर भी उन पर लगा गुण्डा एक्ट गैंगस्टर व खनन अधिनियम के अनेक धाराओं में गलत तरीके से मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसकी जॉच कराकर समाप्त कराने के अनुरोध पर आज तक कोई भी कार्यवाही नही की गई। मृत व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है। पत्र के साथ माफियाओं द्वारा रसीद छपवाकर जबरदस्ती ट्रक-ट्रैक्टर आदि से अवैध धन उगाही की जा रही है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है, जिससे राजस्व की भारी क्षति हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में गोपनीय एवं उच्च स्तरीय जॉच कराकर गरीबों के साथ न्याय एवं बालू माफियाओं के साथ संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें। जिससे सरकार और आपकी छवि धूमिल करने वालो का मनोबल गिर सके। मेरे उपर विधानसभा की जनता का ऐसे उपरोक्त लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कराने का बहुत दबाव है। मुझे मजबूर होकर जिल प्रशासन के खिलाफ लोकतान्त्रिक कार्यवाही करनी पड़ रही है क्योंकि उक्त कार्यो के द्वारा राजस्व की भारी पैमाने पर क्षति पहुंचायी जा रही है।

सादर।

(डा0 अजय कुमार)
विधायक, बारा
प्रयागराज।

संलग्नक -

1. पूर्व में दिये गये अनुरोध की छायाप्रति।
2. समाचार पत्रों की छायाप्रति।
3. ओवरलोडिंग ट्रकों की छायाप्रति मीडिया द्वारा दी गयी 20.10.2019 की गयी वीडियोग्राफी की सी0डी0 की प्रति।
4. अवैध वसूली की पर्ची की छायाप्रति।
5. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दिया गया शिकायती पत्र भी संलग्न है।

कुँ0 रेवती रमण सिंह
संसद सदस्य
(राज्य सभा)

निवास : 19ए न्याय मार्ग
अशोक नगर, इलाहाबाद
दूरभाष : (0532) 2624646, 2421350

सत्यमेव जयते

दिनांकः 06.01.2020

निदेशक / सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि जनपद प्रयागराज के जमुनापार के पालपुर, बसवार, धरवारा, सुलमई एवं शाहपुर में बड़े पैमाने पर बालू का खनन हो रहा है और उसको फर्जी तरीके से सिद्ध करने के लिये खनन की गयी बालू को डम्प बालू दिखाया जा रहा है, जबकि विगत् वर्ष में कोई भी घाट नहीं चला तो बालू कहां से डम्प किया जा रहा है। ये एक रैकेट(गिरोह) बनाकर किया जा रहा है, जो फर्जी रवन्ना इश्यू(निर्गत) करके धड़ल्ले से बालू की निकासी की जा रही है।

अतः मैं चाहूँगा कि उक्त प्रकरण में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करे, जिससे सरकार की खनन नीति को नुकसान न हो एवं सरकारी राजस्व की क्षति से बचाया जा सकें।

(हस्ताक्षर)
कुँवर रेवती रमण सिंह
सांसद राज्यसभा

प्रतिलिपिः— 1. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिलाधिकारी, प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned by CamScanner

16

2394 MI/प्रतिलिपि

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड–1, लो0नि0वि0, प्रयागराज।

पत्रांक: / दिनांक:

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयागराज/प्रतापगढ़/कौशाम्बी।

उप ... अधिकारी
प्रयागराज

विषय:– वाहनों के ओवरलोडिंग के कारण मार्गो को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– शासनादेश संख्या– 173(जी) इन्फ/2012–12इन्फ/2011 लखनऊ दिनाक 30 अगस्त 2012

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के कम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अधीन प्रयागराज, कौशाम्बी एव प्रतापगढ़ जिले से गुजरने वाले समस्त राष्ट्रीय राजमार्गो यथा रा0मा0 संख्या– 35 (कबरई– बांदा–प्रयागराज–मीरजापुर–वाराणसी मार्ग), रा0मा0 संख्या– 135सी (रामपुर–ड्रमण्डगंज–वैढन मार्ग), एवं रा0मा0 संख्या– 731ए (मोहनगज–श्रृंगवेरपुर–चित्रकूट मार्ग) तथा रा0मा0 संख्या– 330 (प्रयागराज–अयोध्या–बलरामपुर मार्ग) पर ओवरलोड मालवाहक वाहनों का अत्यधिक परिचालन हो रहा है।

जनपद प्रयागराज में मेजा तहसील के भटौती में पत्थर की खदाने हैं तथा बारा तहसील के शंकरगढ़ में पत्थर एवं सिलिका सैण्ड की खदाने हैं, जहां से खनिज ट्रकों के द्वारा समस्त प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर भी पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार जनपद कौशाम्बी में महेवाघाट में बालू/सैण्ड की खदाने हैं, जहां से खनिज ट्रकों के द्वारा समस्त प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर भी पहुंचाया जाता है। उपरोक्त स्थलों से प्रतीत होता है कि अनुमन्य सीमा से अधिक भार धारित लदे ट्रकों का परिचालन राजमार्गो पर आम दृश्य हो गया है। भटौती से रा0मा0 संख्या–35 व 135सी पर प्रयागराज जनपद में कोहड़ारघाट से होते हुए कमशः मेजा रोड चौराहे व रामपुर चौराहे के समीप से राजमार्ग में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार सिलिका सैण्ड से लदे ट्रक कबरई–बांदा–प्रयागराज– मीरजापुर–वाराणसी मार्ग (रा0मा0 सं0–35) में शंकरगढ़ के पास से राजमार्ग में प्रवेश करते हैं। रा0मा0 संख्या–731ए पर महेवाघाट से बालू लादे हुए ओवरलोडेड ट्रक मूरतगंज तक मार्ग को क्षति पहुंचा रहे हैं।

उक्त तथ्य की पुष्टि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लिमिटेड, प्रयागराज के पत्र सं0–एम0टी0पी0पी0/2018–19/13/649 दिनांक 13.03.2019 एवं मण्डलायुक्त प्रयागराज पत्र सं0– 175/[illegible] दिनांक 20 मार्च 2019 के द्वारा भी हो रही है।

उपरोक्त खदानों पर ही वाहनों को अनुमन्य भार धारित सीमा के अन्दर भार धारण करने हेतु नियन्त्रित किया जा सकता है। उपरोक्त राजमार्गो पर पहले से ही यातायात का अत्यधिक दबाव है एवं ओवरलोड वाहनों के अनाधिकृत परिचालन से मार्ग अनुमन्य समय (डिजाइन लाइफ) से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी महोदयों एवं आम जनमानस द्वारा निरन्तर रोष प्रकट किया जा रहा है।

2394 17

अतः अनुरोध है कि जनपद से गुजरने वाले उपरोक्त समस्त राजमार्गों पर ओवरलोडिंग वाले वाहनों पर तत्काल प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने का कष्ट करें, जिससे मार्गों को समयपूर्व क्षरण से बचाया जा सके एवं शासकीय धनराशि के अपव्यय से बचा जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड–1, लो0नि0वि0,
प्रयागराज।

पत्रांक : 498/1C

दिनांक 25-04-19

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या– 176/पी0ए0 दिनांक 20 मार्च 2019 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या– 2811एन0एच0/94एन/15 दिनांक 18–05–2015 एवं 4802एन0एच0/94एन/15 दिनांक 07–07–2015 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 18वां वृत्त (रा0मा0), लो0नि0वि0, प्रयागराज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, प्रयागराज/प्रतापगढ़/कौशाम्बी को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मालवाहक वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करें।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज/प्रतापगढ/कौशाम्बी को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मालवाहक वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करें।
6. क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रयागराज/प्रतापगढ/कौशाम्बी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मालवाहक वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. खनिज अधिकारी, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि ओवरलोडेड ट्रकों का नियन्त्रण खदान पर ही कराने का कष्ट करें।
8. समस्त सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित।
9. अवर अभियन्ता (प्रा0) को रिकार्ड हेतु।

25/4/19

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड–1, लो0नि0वि0,
प्रयागराज।

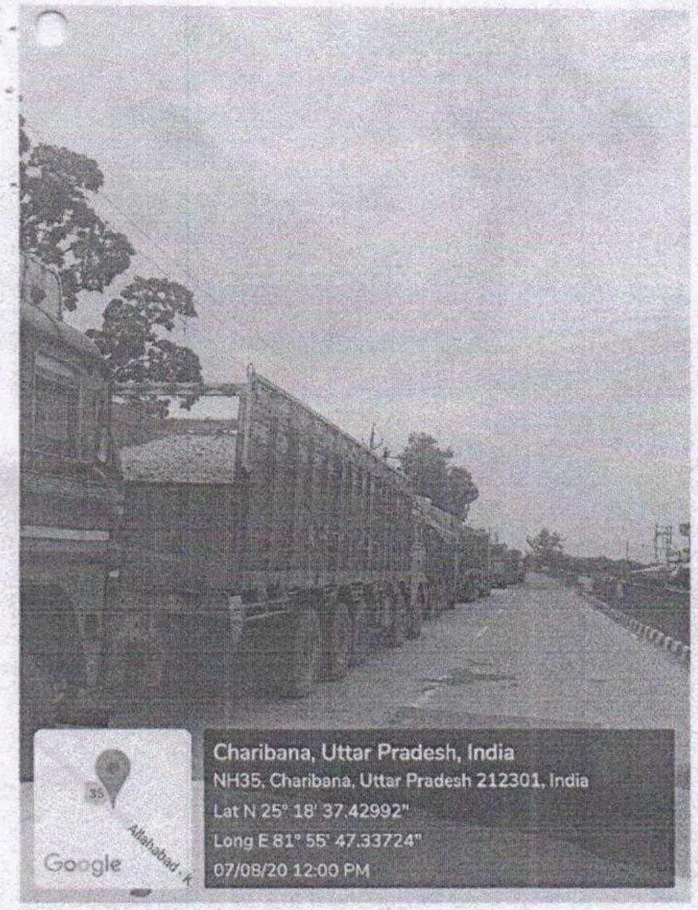
Charibana, Uttar Pradesh, India
NH35, Charibana, Uttar Pradesh 212301, India
Lat N 25° 18' 37.42992"
Long E 81° 55' 47.33724"
07/08/20 12:00 PM
Google

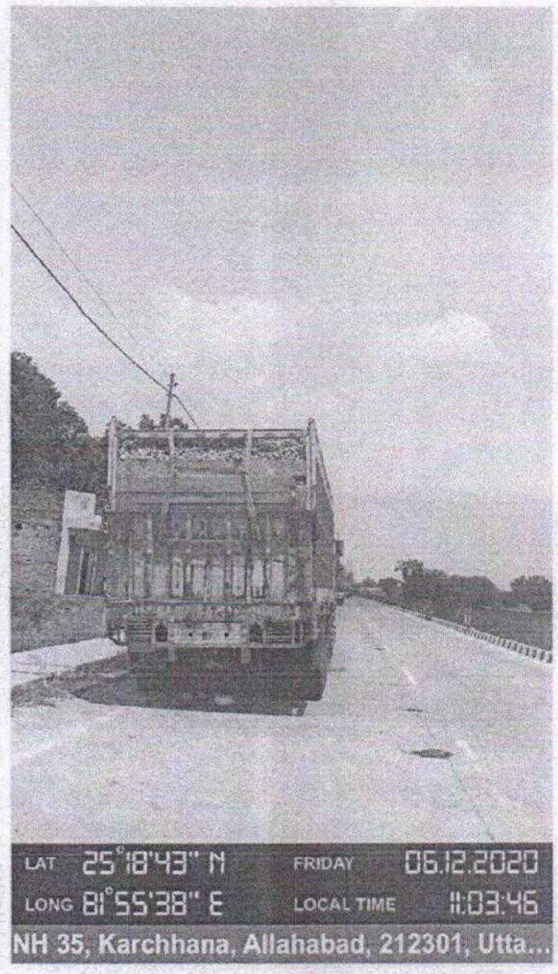
LAT 25°18'43" N
LONG 81°55'38" E
FRIDAY 06.12.2020
LOCAL TIME 11:03:46
NH 35, Karchhana, Allahabad, 212301, Utta...

LAT 25°18'49" N
LONG 81°55'28" E
THURSDAY 06.18.2020
LOCAL TIME 11:28:32
NH 35, Karchhana, Allahabad, 212301, Utta...

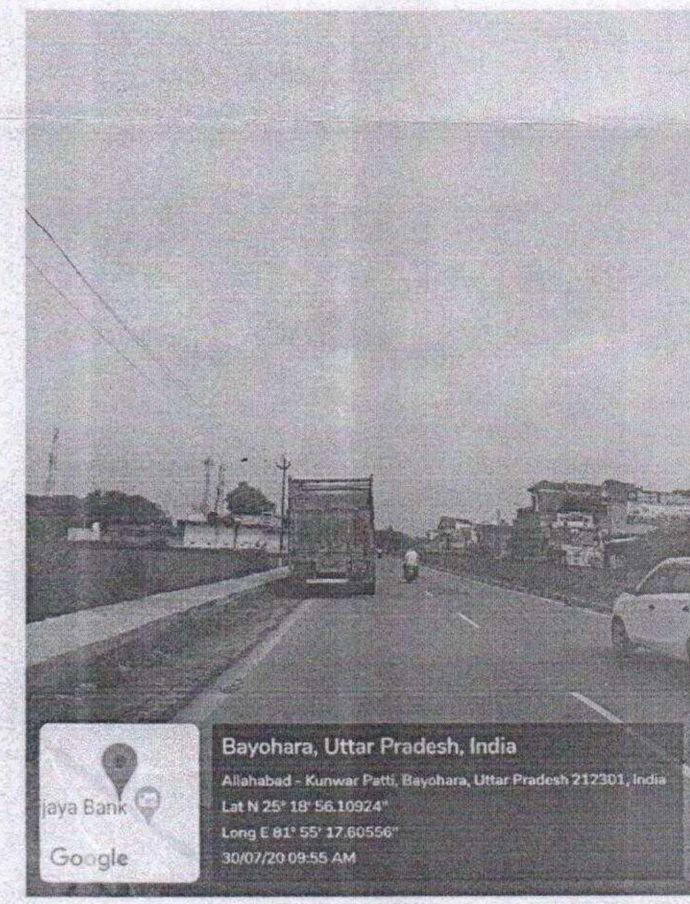
Bayohara, Uttar Pradesh, India
Allahabad - Kunwar Patti, Bayohara, Uttar Pradesh 212301, India
Lat N 25° 18' 56.10924"
Long E 81° 55' 17.60556"
30/07/20 09:55 AM
jaya Bank
Google

Annexure-2

19

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष,
ओवर साईट कमेटी
(ओ0ए0 सं0–670/2018)
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांकः /खनिज/2020–21 दिनांक 08/09/2020

विषयः–श्री अतुल सिंह चौहान (आवेदक ओ0ए0 संख्या–670/2018) द्वारा प्रस्तुत दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने ई–मेल पत्र दिनांक 21.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री अतुल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत दिनांक रहित शिकायती प्रार्थना के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तरवार आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

/

(भानुचन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांकः 1252 /खनिज/2020–21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
2. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज।
4. श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0 सरकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को वस्तुस्थित से अवगत कराने का कष्ट करें।

08/09/2020
(भानुचन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

श्री अतुल सिंह चौहान (आवेदक ओ0ए0 संख्या–670/2018) द्वारा प्रस्तुत दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आख्या

जनपद प्रयागराज के यमुना नदी क्षेत्र में बालू खनन के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंह चौहान द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य प्रस्तुत की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंह चौहान द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा गठित ओवर साईट कमेटी के समक्ष अपना दिनांक रहित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसपर मा0 ओवर साईट कमेटी द्वारा आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में श्री अतुल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र पर प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है।

1. यह मान्य है कि जनपद प्रयागराज में अवैध खनन को रोकने हेतु कई मुकदमें विभिन्न थानों में दर्ज किये गये। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की निरीक्षण आख्या दिनांक 24.06.2019 में जनपद प्रयागराज के नदी तल के क्षेत्रों को पुनः सर्वेक्षण कर नये सिरे से गठित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की आख्या दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–22533/2019 मेसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 01.08.2019 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

   "In view of the above confession of the counsel for the respondents and the facts and circumstances as stated above, the impugned order dated 24-06-2019 insofar as it relates to the petitioner is quashed with liberty to the respondent No.2 to pass a fresh order, if necessary, in accordance with law, after giving opportunity of hearing to the petitioner most expeditiously, preferably within 3 months."

   मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, के पत्र सं0–787 दिनांक 14.08.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नवीनतम संशोधनों के अनुसार नदी तल के क्षेत्रों को पुनः सर्वेक्षण कर नदी की जलधारा से बाहर के खनन योग्य क्षेत्रों की तकनीकी जॉच कर क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज की मात्रा के आधार पर नियमानुसार चिन्हांकन करने हेतु कार्यालय आदेश सं0–1058/ई–टेण्डर बालू/खनन /2019–20 दिनांक 24.09.2019 द्वारा 09 सदस्यीय अन्तर्विभागीय समिति का गठन कर आख्या प्राप्त की गयी। जनपद के स्वीकृत बालू खनन पट्टाधारकों द्वारा खनन पट्टा विलेख के भाग–2 के अनुसूची के अनुसार देय किश्त की धनराशि निर्धारित समय अवधि में जमा नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार नोटिस निर्गत की गयी। उक्त नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी सम्बन्धित पट्टाधारक द्वारा टी0सी0एस0 व डी0एम0एफ0 की धनराशि, देय किश्त की धनराशि जमा नहीं किये जाने के कारण सम्बन्धित खनन पट्टाधारकों का खनन पट्टा नियमानुसार निरस्त किया गया है। खनन पट्टा निरस्त किये जाने के उपरान्त उक्त रिक्त बालू क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से विज्ञापित किया गया है। **जनपद में सा0 बालू के उपलब्ध क्षेत्रों का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिये दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्व से ही तैयार किया गया है।**

2. यह मान्य है कि प्राविधिक समिति की आख्या दिनांक 06.01.2020 द्वारा स्थलीय जॉच कर जनपद प्रयागराज में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) में प्रदर्शित 51 बालू खण्डों की भौतिक सत्यापन कर आख्या प्रस्तुत की गयी। प्राविधिक समिति की आख्या के अनुसार यमुना नदी के कुल–21 खण्डों में से 11 खण्ड जलमग्न पाये गये, शेष 10

खण्डों में खनन योग्य बालू उपलब्ध पाये गये हैं। बालू खण्ड संख्या–04 (यमुना नदी) का खनन पट्टा जनपद प्रयागराज की सीमा अन्तर्गत निर्धारित पट्टा क्षेत्र में खनन किये जाने के लिए प्रदत्त था। खनिजों का परिवहन किसी अन्य जनपद से किये जाने पर नियमानुसार कोई रोक नहीं है। खण्ड संख्या–4 ग्राम सेमरी के पट्टा क्षेत्र में स्वीकृत अवधि में कोई अवैध खनन होता नहीं पाया गया। बालू खण्ड संख्या–4 (ग्राम–सेमरी) में अवैध खनन आदि की प्राप्त शिकायतों के क्रम में संयुक्त रूप से दिनांक 04.06.2020 को जांच करायी गयी, जिससे कोई अवैध खनन कार्य होता नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ग्राम सेमरी में अवैध खनन व पर्यावरण क्षति के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–869/2019 मनोज कुमार पाण्डेय, माँ गंगा यमुना सरस्वती सेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 के कार्यकारी अंश निम्न है।

Accordingly, a report has been filed on 21.08.2020 by the District Magistrate, Prayagraj to the effect that no such illegal mining was found.
In view of above no further order is necessary at this stage.
The application is disposed of.

उक्त पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 में जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या को स्वीकार करते हुये प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)** यह भी अवगत कराना है कि ग्राम सेमरी बालू खण्ड संख्या–4 के पट्टाधारक मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वारा खनन पट्टा विलेख के भाग–2 के अनुसार निर्धारित समय अवधि पर देय किश्त की धनराशि, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 की धनराशि जमा नहीं किये जाने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–643/खनिज/ई–नीलाम बालू/2020–21 दिनांक 29.06.2020 द्वारा नियमानुसार खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है तथा पट्टेधारक के विरूद्ध बकाया देय धनराशि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र संख्या–704/खनिज/व0प्र0प0/2019 दिनांक 07.07.2020 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। क्षेत्र को पुनः विज्ञापित कर नये सिरे से खनिज परिहार पर दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्राविधिक समिति की आख्या के अनुसार क्षेत्र में खनन योग्य साधारण बालू की मात्रा उपलब्ध है तथा क्षेत्र जलमग्न नहीं है।

3. शिकायतकर्ता का यह कथन तथ्यों के विपरीत है कि खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को गुमराह कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कराये बिना ग्राम सेमरी से खनन की अनुमति प्रदान की गयी है। **जनपद में सा0 बालू के उपलब्ध क्षेत्रों का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिये दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्व से ही तैयार किया गया है।** मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.08.2019 के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, के पत्र सं0–787 दिनांक 14.08.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नवीनतम संशोधनों के अनुसार नदी तल के क्षेत्रों को पुनः सर्वेक्षण कर नदी की जलधारा से बाहर के खनन योग्य क्षेत्रों की तकनीकी जॉच कर क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज की मात्रा के आधार पर नियमानुसार चिन्हांकन करने हेतु कार्यालय आदेश सं0–1058/ई–टेण्डर बालू/खनन/2019–20 दिनांक 24.09.2019 द्वारा 09 सदस्यीय अन्तर्विभागीय समिति का गठन कर आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के आधार पर ही क्षेत्र में खनन की अनुमति प्रदान की गयी है।

ग्राम सेमरी बालू खण्ड संख्या–4 के पट्टाधारक मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वारा खनन पट्टा विलेख के भाग–2 के अनुसार निर्धारित समय अवधि पर देय किश्त की धनराशि, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 की धनराशि जमा नहीं किये जाने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–643/खनिज/ ई–नीलाम बालू /2020–21 दिनांक 29.06.2020 द्वारा नियमानुसार खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है। शेष कथन उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित है। शिकायतकर्ता द्वारा किसी अन्य खण्ड का सन्दर्भ देकर असत्य कथन कहा जाना यह प्रमाणित करता है कि शिकायतकर्ता क्षेत्र में नियमानुसार कोई खनन कार्य किया जाना नहीं चाहता है।

4. शिकायतकर्ता द्वारा थाना लालापुर की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा गया कथन बहुत पुराना दिनांक 20.05.2019 का है। उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है। वर्तमान में पुनः राजस्व विभाग, खनन विभाग, पुलिस विभाग जनपद प्रयागराज तथा जनपद कौशाम्बी की कर्मचारियों के साथ संयुक्त जॉच की गयी थी। प्रकरण में दिनांक 11.05.2020 को लालापुर थाना में खनिज विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित क्षेत्र संयुक्त पैमाईश में जनपद कौशाम्बी में पाये जाने पर प्रकरण जनपद कौशाम्बी को स्थानान्तरित कर दिया गया है। संयुक्त जॉच आख्या की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2–अ,ब,स)**
5. जनपद प्रयागराज में नदियों की जलधारा में कहीं भी खनन कार्य नहीं हो रहा है। अवैध खनन/परिवहन/ओवर लोडिंग के विरूद्ध नियमित रूप से जांच/कार्यवाही की जाती है तथा सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट/मा0 सक्षम न्यायालय में परिवाद दर्ज किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह अगस्त तक अवैध खनन के कुल 09 प्रकरण, अवैध परिवहन व ओवर लोडिंग के कुल 199 प्रकरण पकड़े गये है। कोविड–19 के समय लाकडाउन होने के कारण जनपद में समस्त खनन कार्य पट्टाधारकों द्वारा बन्द किये गये थे एवं शासन से प्राप्त आदेशों के उपरान्त खनन कार्य प्रारम्भ किये गये। शिकायतकर्त्ता द्वारा दैनिक समाचार पत्र दिनांक 10.04.2020 में अंकित दुर्घटना समाचार को गलत तरीके से ओवर साईट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज का पत्र संख्या–941/बा0का0ख0प्र0/ लीलापुर बांध दिनांक 31.05.2019 बहुत पुराना है तथा थानाध्यक्ष सरायंइनायत, प्रयागराज को सम्बोधित है तथा जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज सहित अन्य को पृष्ठांकित है। लीलापुर क्षेत्र में अवैध खनन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की गयी है तथा सम्बन्धित के विरूद्ध थाना सराय इनायत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। पुराने प्रकरण को वर्तमान में सन्दर्भित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।
7. मा0 कुँवर रेवती रमण सिंह संसद (राज्य सभा) द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को दिये गये पत्र दिनांक 06.01.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि अवैध खनन कर बालू भण्डारण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा वर्तमान में उक्त जब्तशुदा बालू भण्डारणों को मा0 सक्षम न्यायालय से प्राप्त आदेशों के उपरान्त ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। ग्राम–बसवार, मोहब्बतगंज, मड़ौका उपरहार एवं मीरकपुर तहसील–करछना में जब्तशुदा बालू से 91,06,825 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
8. अधिशाषी अभियन्ता, रा0म0खण्ड–1, लो0नि0वि0 का पत्र दिनांक 25.04.2019 बहुत पुराना है। वर्तमान में माह अगस्त, 2020 में विशेष अभियान चलाकर ओवर लोडिंग/अवैध परिवहन करने वाले कुल–88 वाहनों को पकड़ कर पुलिस अभिरक्षा में

दिया गया है। सभी के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों एवं नियमों/अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. जनपद प्रयागराज में कहीं भी उपखनिजों का भण्डारण लाईसेन्स स्वीकृत नहीं है। ग्राम बसवार, मोहब्बतगंज, मड़ौका उपरहार एवं मीरकपुर तहसील–करछना में पूर्व में जब्तशुदा बालू को ई–टेण्डर द्वारा नीलाम किया गया है जिससे रू0 91,06,825.00 का राजस्व की प्राप्ति हुई है। भण्डारण लाईसेन्स जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित है।

10. शिकायतकर्ता का यह कथन कि मेजा तहसील में अन्तर्गत भटौती, बंगलिया में स्थित पहाड़ियों से सैण्ड स्टोन का परिवहन बिना वैध प्रपत्र के किया जा रहा है, असत्य है। वर्तमान में माह अगस्त, 2020 में विशेष अभियान चलाकर ओवर लोडिंग/अवैध परिवहन करने वाले कुल–88 वाहनों को पकड़ कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है। सभी के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों एवं नियमों/अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स व खनिज प्रवर्तन दल द्वारा नियमित रूप से वाहनों ही जॉच की जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

निरन्तर की गयी जॉचों में जनपद प्रयागराज में स्थित यमुना नदी क्षेत्र (ओ0ए0 सं0–670/2018 में प्रश्नगत क्षेत्र) में अवैध खनन होता नहीं पाया गया। जनपद प्रयागराज में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु बृहद प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण है। मा0 न्यायामूर्ति श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में ओवर साईट कमेटी की बैठक दिनांक 08.02.2020 के कार्यवृत्त में भी इसका उल्लेख है। उक्त कार्यवृत्त में यह भी अंकित है कि शिकायतकर्ता द्वारा भी अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों को माना गया है। शिकायतकर्ता द्वारा समस्त कार्यवाहियों से भिज्ञ होने के उपरान्त भी केवल द्वेष भावना से ग्रसित होकर पुराने तथ्यों को ही नई ओवर साईट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत शिकायती पत्र अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों से प्रभावित व्यक्तियों एवं अन्य जनपदों के पट्टाधारकों द्वारा जनपद में नियमानुसार बालू खनन न होने देने का प्रयास प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः शिकायती प्रार्थना पत्रों के क्रम में आख्या सादर प्रेषित है।

खान निरीक्षक, प्रयागराज।	ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज।	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रयागराज।	जिलाधिकारी, प्रयागराज।